न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/520

राधू सिंह उम्र 48 साल पुत्र भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम डोलिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. छोटू सिंह आयु 70 साल आत्मज भवानी सिंह जाति राजपूत निवासी डोल्या तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. तीजू बाई (मृतक) पुत्री भवानी सिंह पत्नी औंकार सिंह जाति राजपूत :–
   2/1. बनवारी सिंह पुत्र औंकार सिंह (मृतक) :–
   1. आकाश आयु 18 साल आत्मज बनवारी सिंह ।
   2. सूरज आयु 14 साल ना0 बा0 आ0 बनवारी सिंह जरिये वली माता बृजेश बाई
   3. बृजेश बाई पत्नी बनवारी सिंह
   4. पूजा पुत्री बनवारी सिंह आयु 19 साल
   5. सुमन आयु 12 साल ना0 बा0 पुत्री बनवारी सिंह जरिये वली माता श्रीमती बृजेश बाई
   6. पिंकी आयु 20 साल पुत्री बनवारी सिंह जाति राजपूत निवासीगण डोल्या तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

   2/2. सत्यनारायण सिंह पुत्र औंकार सिंह
   2/3. रामकरण सिंह पुत्र औंकार सिंह
   2/4. रतन सिंह पुत्र औंकार सिंह ।
   2/5. देवी सिंह पुत्र औंकार सिंह जाति राजपूत निवासीगण डोल्या तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. मोडू सिंह आत्मज भंवर सिंह ।
4. गोपाली बाई पुत्री भंवर सिंह पत्नी मोहन सिंह जाति राजपूत निवासी धोलपुरा उप तहसील मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
5. राजस्थान सरकार तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

——रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री चन्द्रमोहन शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री हुकम चन्द जैन, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 13.02.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.05.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53, 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत ग्राम डोल्या तहसील लाडपुरा जिला कोटा की सेटलमेंट से पूर्व की आराजी खसरा नम्बर 162 की 09 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 167 की 06 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 335 की 01 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 37 की 12 बीघा 06 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 338 की 01 बीघा 02 बिस्वा आराजी एंव ग्राम किशनपुरा तहसील लाडपुरा में सेटलमेंट पूर्व की आराजी खसरा नम्बर 18 की 05 बीघा 12 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 20 की 14 बीघा 14 बिस्वा कुल 02 किता की 20 बीघा 06 बिस्वा आराजी के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त दोनों ग्रामों की आराजी में वादी एवं प्रतिवादी का 1/2 – 1/2 हिस्सा निहित है और उक्त हिस्से अनुसार ही वे अपने –अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं । वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह अपने हिस्से का विधिवत विभाजन करावें ।

3. अतः वादग्रस्त आराजी में वादी का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी क्रम 1/2 हिस्सा घोषित किया जावे तथा वादी का खाता अलग किया जावे एवं वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वह वादग्रस्त आराजी को खुर्द–बुर्द रहन, बेचान नहीं करे और न ही वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत करे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 09.05.2017 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार करते हुए वादी का वाद डिक्री कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.05.2017 से व्यथित होकर प्रतिवादी क्रम 1/2 राधू अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना लोक अदालत में पारित किया है जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि अपीलान्ट के पिता का राजस्व रिकॉर्ड में 3/4 हिस्सा निहित है जो 1/3 हिस्सा कर दिया है जबकि अपीलान्ट के पिता के स्थान पर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट क्रम 3 व 4 को 3/4 हिस्सा बंटवारे में दिया जाना चाहिए था । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की अनुपस्थिति में उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित की है जिसकी अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी । उक्त निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 09.10.2017 को न्यायालय में आकर मालूम करने पर हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील पेश करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अपीलान्ट के पिता का राजस्व रिकॉर्ड में 3/4 हिस्सा निहित है जो 1/3 हिस्सा कर दिया है जबकि अपीलान्ट के पिता के स्थान पर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट कम 3व 4 का 3/4 हिस्सा बंटवारे में दिया जाना चाहिए था ।-अधीनस्थ न्यायालय उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट को बिना सुने ही सीपीसी की पालना किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.05.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि राजस्व रिकॉर्ड में गलत रूप से अपीलान्ट का हिस्सा 3/4 दर्ज किया गया था जबकि भवानी सिंह के 03 वारिस हैं । वादी छोटू सिंह, भंवरसिंह और तीजूबाई तद्नुसार अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट कम 3 व 4 का वादग्रस्त आराजी में 1/3 हिस्सा ही निहित है । तीजू बाई ने आदेश 01 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसके आधार पर उन्हें पक्षकार बनाया गया था । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09. 05.2017 बहाल रखा जावे।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताए हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जाता है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली प्रतिवादी की ओर से पेश किये गये साक्ष्य खोले जाने के प्रार्थना पत्र के जवाब में लम्बित थी और इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में पक्षकारान के द्वारा कोई राजीनामा पेश नहीं किया गया है और इसी दिन मात्र वादी छोटू सिंह के उपस्थित होने के आधार पर वाद डिक्री किया गया है । प्रकरण में जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया गया है और अधीनस्थ न्यायालय नै तनकीयात कायम की थी । ऐसी स्थिति में बिना तनकियात पर विवेचन किये लोक अदालत में बिना किसी राजीनामा के निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.05.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 27.03.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 13.02.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

13/2/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा